अनुसूची

इस अधिनियम के अंतर्गत वर्जित व्यवसायों तथा प्रणालियों कि तालिका

भाग क

व्यवसाय (गैर ओदयोगिक गतिविधि)

कोई भी व्यवसाय जिसका संपर्क निम्न प्रक्रियाओं से हो :-

- १. रेलवे द्वारा यात्रियों, माल या मेल के परिवहन;
- २. राख उठाना, एश पिट्स को साफ़ करना अथवा रेलवे परिसर में निर्माण कार्य;
- 3. रेलवे स्टेशन के किसी खानपान प्रतिष्ठान में काम, एक विक्रेता अथवा प्रतिष्ठान के किसी अन्य कर्मचारी के एक प्लेटफार्म से अन्य प्लेटफार्म अथवा चलती रेलगाड़ी अंदर अथवा बाहर चलन से सम्बंधित;
- ४. रेलवे स्टेशन के निर्माण से सम्बंधित कार्य अथवा कोई अन्य कार्य जहाँ कार्य रेल पटरी के समीप अथवा मध्य होता हो;
- ५. एक बंदरगाह नियोग जो बंदरगाह कि सीमाओं के मध्य हो;
- अस्थायी लाइसेंस वाली दुकानों में फटाकों तथा आतिशबाजी कि बिक्री से सम्बंधित कार्य;
- ७. कसाईखाने में;
- ८. ऑटोमोबाइल कार्यशालाओं और गराज;
- ९. ढलाई;
- १०. विषाक्त अथवा ज्वलनशील पदार्थी विस्फोटक पदार्थी का प्रबंधन;
- ११. हथकरघा तथा मशीन करघा उद्योग;
- १२. खानों (भूमिगत तथा जल के निचे) तथा कोयला खानों में;
- १३. प्लास्टिक इकाइयों और फाइबर ग्लास कार्यशालाओं;
- १४. घरेलू कार्यकर्ता या नौकर;

- १५. (सड़क के किनारे भोजनालय) ढाबों, रेस्तरां, होटल, मोटल (सराय), चाय की दुकानों, रिसॉर्ट, स्पा या अन्य मनोरंजन केन्द्रों, और
- १६. गोताखोरी
- १७. हाथी की देखभाल
- १८. सर्कस में काम करना

भाग ख

प्रणालियाँ (ओद्योगिक गतिविधि)

- १. बीडी बनाना
- २. कालीन-बुनना जिसमे इसके प्रारंभिक तथा प्रासंगिक प्रणालियाँ सम्मिलित हैं';
- सीमेंट उत्पादन, जिसमे सीमेंट को थैलियों भरना सिम्मलित है।
- ४. कपड़ों कि छपाई, रंगाई तथा बुनाई जिसमे प्रारंभिक से प्रासंगिक कार्य सभी सम्मिलित हैं:
- ५. माचिस, विस्फोटक तथा आतिशबाजियों का उत्पादन।
- ६. माईका को काटना तथा चीरना।
- ७. चपड़ा निर्माण
- ८. साबुन निर्माण
- ९. टेनिंग
- १०. ऊन की सफाई
- ११. प्रसंस्करण और ग्रेनाइट पत्थर को चमकाने सहित भवन और निर्माण उद्योग
- १२. स्लेट पेंसिल (पैकिंग सहित) का निर्माण
- १३. ऐगट (सुलेमानी पत्थर) से उत्पादों का विनिर्माण
- १४. विषाक्त धातुओं तथा पदार्थों जैसे सीसा, पारा, मैंगनीज, क्रोमियम, कैडमियम, बेंजीन, कीटनाशक तथा एस्बेस्टस का उपयोग करने वाली निर्माण प्रणालियाँ।

- १५. कारखाना अधिनियम, १९४८(१९४८ का ६३) के अनुच्छेद २(क ब) में परिभाषित "खतरनाक प्रक्रियाएं" तथा अनुच्छेद ८७ के अंतर्गत बनाये गए नियमों में टिपण्णी के अनुसार 'असुरक्षित कार्य'
- १६. कारखाना अधिनियम, १९४८(१९४८ का ६३) के अनुच्छेद २(क) (iv) के अंतर्गत परिभाषित छपाई
- १७. काजू तथा काजू बादामों को अपने कवचों से निकालना तथा अन्य प्रक्रियाएं;
- १८. इलेक्ट्रोनिक उद्योग में सोल्डरिंग की प्रक्रिया।
- १९. अगरबत्ती का निर्माण
- २०. गाड़ियों को सुधारना तथा रखरखाव जिसमे प्रासंगिक प्रक्रियाएं जैसे वेल्डिंग, लेट मशीन का काम, पीटकर गड़ढा बनाना तथा पेंटिंग सम्मिलित हैं।
- २१. ईंट भट्टों और रूफ टाइलों की इकाइयां
- २२. कपास को ओटना तथा अन्य प्रक्रियाएं तथा मोज़े गंजी इत्यादि सामान का उत्पादन
- २३. डिटर्जेंट निर्माण
- २४. फैब्रिकेशन कार्यशालाओं (लौह और अलौह)
- २५. रत्न को काटना और चमकाना
- २६. क्रोमाईट तथा मैंगनीज कच्चे धातुओं का प्रबंधन।
- २७. जूट वस्त्र का निर्माण और कॉयर बनाना
- २८. च्ना भट्टी तथा च्ने का उत्पादन।
- २९. ताला बनाना
- 30. उत्पादन प्रक्रियाएं जिसमे सीसे का प्रयोग होता हो जैसे प्राथमिक तथा माध्यमिक धातुओं को पिघलना, सीसे की रंगाई वाली धातु संरचना की वेल्डिंग तथा कटाई, कलई वाले अथवा जिंक सिलिकेट की वेल्डिंग, पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्रिस्टल कांच के ढेर का मिश्रण(हाथों द्वारा), सीसा रंग को निकालना अथवा झारना, एनेमेलिंग वर्कशॉप में सीसा जलाना, सीसे का खनन, प्लिम्बंग(/नलसाजी), तार बनाना, वायर पेटेंटीन्ग, सीसा ढलाई, छपाई कारखानों में प्रकार स्थापना, टाइपसेटिंग (प्रकाशन उद्योग के सांचे) को जमाना, कार के प्जों को जोड़ना, शोट मेकिंग तथा सीसा कांच की ब्लोईंग।

- ३१. सीमेंट पाइप, सीमेंट उत्पादों और अन्य संबंधित कार्य का निर्माण
- 3२. कांच, कांच से बने पदार्थ चूड़ियों सिहत, फ्लोरोसेंट ट्यूब, बल्ब और अन्य इसी तरह के कांच उत्पादों का निर्माण ।
- ३३. रंग तथा रंगाई की वस्त्ओं का उत्पादन।
- ३४. कीटनाशकों का उत्पादन अथवा प्रबंधन।
- ३५. क्षयकर तथा विषैली वस्तुओं का उत्पादन अथवा निर्माण करना अथवा प्रबंधन करना, धातुओं की सफाई तथा फोटो उत्कीर्णन तथा इलेक्ट्रोनिक उद्योग की सोल्डरिंग प्रणाली।
- ३६. ज्वलनशील कोयले तथा कोयले की ईंटों का उत्पादन।
- ३७. खेल कि सामग्रियों का उत्पादन जिसमे सिंथेटिक सामग्री, रसायनों तथा चमड़े का उपयोग होता हो।
- ३८. फाईबरग्लास तथा प्लास्टिक का उत्पादन तथा प्रयोग।
- ३९. तेल निष्कासन तथा परिशोधन।
- ४०. कागज बनाना
- ४१. पॉटरीज और चीनी मिट्टी उद्योग
- ४२. पीतल के सामान की सभी रूपों में चमकाई, सजावटी गढ़ाई, कटाई, वेल्डिंग तथा उत्पादन।
- ४३. खेती की प्रक्रियाएं जहाँ ट्रेक्टर, गहने तथा कटाई की मशीनों का उपयोग होता है तथा भुस की कटाई।
- ४४. आराघर सभी प्रक्रियाएं।
- ४५. रेशम उत्पादन के प्रक्रमण।
- ४६. चमड़ा तथा चमड़े के उत्पादों के निर्माण हेतु खाल निकालना, रंगाई तथा अन्य प्रक्रियाएं।
- ४७. पत्थर तोड़ने और पत्थर को पीसना

- ४८. तम्बाक् प्रक्रमण जिसमे तम्बाक्, तम्बाक् के पेस्ट का निर्माण तथा तम्बाक् का किसी भी रूप में प्रबंधन सम्मिलित हैं।
- ४९. टायर का निर्माण, मरम्मत, री-त्रीडिंग तथा ग्रेफाईट का बेनिफ़िसिएशन।
- ५०. बर्तनों का निर्माण, चमकाई तथा धातु की घिसाई(बिफ्फंग)।
- ५१. 'जरी निर्माण(सभी प्रक्रियाएं)'।
- ५२. इलेक्ट्रोप्लेटिंग
- ५३. ग्रेफाईट को पीसना तथा प्रासंगिक प्रक्रमण;
- ५४. धात्ओं को पीसना या चमकाना;
- ५५. हीरा कटिंग और पॉलिश;
- ५६. खानों से स्लेट का उत्खनन;
- ७७. चीथड़े बीनना तथा सफाई सम्बन्धी कार्य;
- ५८. प्रक्रियाएं जिसमें अत्यधिक गर्मी (जैसे भट्टी के समीप कार्य) अथवा ठण्ड का सामना करना पड़ें;
- ५९. यांत्रिक मछली पालन;
- ६०. खाद्य प्रसंस्करण;
- ६१. पेय उद्योग;
- ६२. लकड़ी का रखरखाव एवं लादना;
- ६३. यांत्रिक लकड़ी काटने के काम;
- ६४. गोदाम में माल रखना;
- ६५. प्रक्रियाएं जिसमे मुक्त सिलिका अंतर्भूत होती है जैसे स्लेट, पेन्सिल उद्योग, पत्थरों की घिसाई, स्लेट पत्थरों का खनन, पत्थरों की खानें तथा गोमेद पत्थरों का उद्योग।